अंतरिम आदेश पत्रिका दिनांक 22.09.2025

आरोपीगण सहित श्री लोकेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उभयपक्षों के मध्य पूर्व में राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण को आज बोर्ड पर लिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण में पेशी दिनांक 14.10.2025 नियत है और प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य में आपसी राजीनामा हो जाने कारण प्रकरण आज दिनांक को पेशी में लिये जाने का निवेदन किया। बाद विचार प्रार्थना पत्र सदभाविक होने से स्वीकार कर पूर्व पेशी निरस्त कर प्रकरण को आज दिनांक 22.09.2025 को पेशी में लिया गया।

राज्य द्वारा एडीपीओ सुश्री जागृति गायकवाड उपस्थित।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र सिंह उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर उभयपक्षों की ओर से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–359 (1) व (2) बीएनएसएस 2023 का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख में संलग्न किया गया।

उभयपक्षों को उक्त आवेदन पर सुना गया।

फरियादी/आहतगण के राजीनामा कथन अंकित किये गये।

आरोपी के विरूद्ध धारा–294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.सं. के अधिन दण्डनीय अपराध का आरोप विचाराधिन है।

उक्त धाराओं में से धारा 323/34, 506(भाग–दो) भादवि का अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय प्रकृति का है तथा धारा 294, भादवि न्यायालय की अनुमति से शमनीय प्रकृति का है। धारा 294 भादवि में दिनांक 07.07.2022 के संशोधन के द्वारा शमनीय प्रकृति की श्रेणी में रखा गया है जो पूर्व में अशमनीय था। प्रक्रियात्मक विधि में जहां अभियुक्त को लाभ पहुंचाने वाला दृष्टिकोण हो उसे न्यायालय को स्वीकार किया जाना चाहिए चाहे भले ही घटना दिनांक को वह अपराध अशमनीय रहा हो, आहत अपराध का शमन करने में सक्षम हैं आहत की पहचान श्री लोकेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने

की है। फरियादी/आहत ने अपने राजीनामा कथन में बताया कि उसने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय, दवाब अथवा लालच के अपराध का शमन करना व्यक्त किया। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आहत का फोटोयुक्त राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी अभियोजित नहीं है। उभयपक्ष द्वारा स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के राजीनामा किया गया है। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण **कडोरी पिता फूलसिंह अठ्या, उम्र 67 साल, कैलाश पिता लीलाधर अठ्या, उम्र 26 साल, जितेन्द्र पिता लीलाधर अठया उम्र 31 साल सभी निवासी ग्राम जगथर थाना पथरिया जिला दमोह** को धारा **294, 323/34, 506 (भाग–दो) भादवि** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सतकठा एवं बांस की लाठियां मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

अभियुक्तगण के जेल में निरूद्ध रहने के संबंध में धारा 468 बीएनएस का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावें।

(सुश्री जूही सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पथरिया जिला दमोह म.प्र.